

क्रमांक/3324060/958/2019/218

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,

तुलसी नगर भोपाल म.प्र.क्र. 462003

दूरभाष-07552552646, 2552878 फॅक्स 2552406, 2551253

email: encwrbpl\_mp@nic.in

भोपाल दिनांक: 04/02/2021

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-1/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी एवं परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमिति वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा शासन के निहित प्रावधान के परिपालन में एवं शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को अमीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति वेतनमान रूपये पी.बी.1, 5200-20200 + ग्रेड पे 2100/- (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल-5) शासन द्वारा अद्यतन स्वीकृत महंगाई भत्ते पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

स.क्र	दिवंगत शासकीय सेवक का नाम	मृत्यु दिनांक	आवेदक का नाम वर्तमान पता	जाति/जन्म तिथि	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वासुदेव डाहट	08.08.2014	श्री आयुष डाहट निवासी म.न .63 मते कॉलोनी गली नं.5 छिन्दवाड़ा	अ.जा. 22.06.2002	मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी
2.	स्व.श्री रामसेवक डेहरिया	10.09.2018	श्री विवेक कुमार डेहरिया निवासी 1603 जिन्दहाई तलैया रानी दुर्गावती वार्ड गढ़ा जबलपुर	अ.जा. 05.11.1992	मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी
3.	स्व.श्री शिवरत्त सिंह गोड़	11.10.2018	श्री शिवपाल सिंह गोड़, निवासी ग्राम परासी, तहसील मानपुर जिला उमरिया	अ.जा. 01.01.1984	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना दतिया
4.	स्व.श्री रामदुलारे पाण्डेय	10.04.2019	श्री आशुतोष पाण्डेय, निवासी संगीता भवन, प्रगति नगर, भंडारिया रोड खण्डवा	सामान्य 06.06.1998	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, ज.स.वि. इन्दौर
5.	स्व.श्री सुन्नुलाल गढ़वाल	06.07.2019	श्री मनीष सोनेवाल निवासी जी-10 हरदुली बरगी नगर, जबलपुर	अ.पि.व. 27.09.1995	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
6.	स्व.श्री बलवंत सिंह माहौर	01.08.2019	रोहित माहौर, निवासी शीतला सदन, विद्यानगर, मांगरूल रोड़ खरगौन	अ.जा. 25.02.1988	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, ज.स.वि. इंदौर
7.	स्व.श्री चन्द्र शेखर पिल्ले	09.09.2019	श्री राहुल पिल्ले, ब्. महेश सोनी वार्ड नं.15 राधाकृष्णा मंदिर के पिछे नैनपुर जिला मण्डला	सामान्य 22.10.1995	मुख्य अभियंता, यमुना कछार जल संसाधन विभाग, ग्वालियर
8.	स्व.श्री राम शिरोमणि कोल	31.10.2019	कुमारी अनूपा देवी कोल निवासी म. न. एच-7(स) बाणसागर, कॉलोनी देवलौद जिला शहडोल	अ.ज.जा. 28.06.1998	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना, ज.स.वि. दतिया
9.	स्व.श्री रामजीलाल राजौरिया	21.12.2019	श्री रोहित धानुक, निवासी मकान नं.7 सागर गेट के अंदर थाना कोतवाली जिला झोंसी	अ.जा. 10.12.1992	मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर
10.	स्व.श्री विनीत दवे	13.03.2020	श्री अंकेश दवे, निवासी म.न. 65 एम.आर.सनसिटि, महालक्ष्मी नगर, इंदौर	सामान्य 05.12.1192	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल
11.	स्व.श्री रामनाथ सिंह राजपूत	01.04.2020	श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत निवासी, आनंद नगर, वार्ड नं.8 खिरकिया, जिला हरदा	सामान्य 30.06.1994	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद

12	स्व.श्री मोहनलाल सोनी	14.08.2020	श्री मुकेश सोनी निवासी मकान नं. 50/2 हज्जाम स्ट्रीट गिनौरी भोपाल	अ.पि.वर्ग. 24.05.1988	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल
13	स्व.श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	01.10.2020	श्रीमति अनीता पाण्डेय निवासी म. न.जी-24 कोलार कॉलोनी भोपाल	सामान्य 09.07.1981	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल
14	स्व.श्री राजेन्द्र कुमार कैथ्या	22.10.2020	श्री अरविन्द कुमार कैथ्या निवासी म.नं.273/1 साई बाबा नगर, 12 नं. बस स्टाप के पास भोपाल	अ.जा. 07.01.1990	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल (प्र.अ.कार्या. कार्य हेतु सलमन किया जाता है)
15	स्व.श्री गणेशराम भंडारकर	16.11.2020	श्री प्रफुल्ल भंडारकर निवासी म.न. एस-6 बरगी कॉलोनी प्रियदर्शनी नगर, भोपाल	अ.पि.व. 05.02.1999	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल (प्र.अ.कार्या. कार्य हेतु सलमन किया जाता है)
16	स्व.श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा	05.03.2020	श्री रामकुमार ओझा निवासी मकान नं. जी-4 चंबल कॉलोनी ठाठीपुर खालियर	अ.पि.व. 17.11.1982	मुख्य अभियंता, यमुना कछार जल संसाधन विभाग, खालियर
17	स्व.श्री कैलाश चन्द्र खरे	31.05.2020	श्री राहुल खरे निवासी म.न. 474, ई. के.सेक्टर स्कीम नं.54 विजय नगर, इन्दौर	सामान्य 01.06.1985	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर
18	स्व.श्री सियाराम भलावी	12.08.2020	कुमारी अंजली भलावी निवासी प्लॉट नं.108 बालाजी नगर, बारपत्थर जिला सिवनी	अ.ज.जा. 01.07.1994	मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी
19	स्व.श्री सुरेश चन्द्र गौड़	30.10.2020	श्री दिव्यांशु गौड़ निवासी म.न. 123 परमसिटी कॉलोनी गुना बायपास ब्यावरा जिला राजगढ़	अ.पि.व. 16.04.1996	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल
20	स्व.श्री राम सजीवन पटेल	18.07.2020	श्री नागेन्द्र कुमार पटेल निवासी ग्राम नौद्विया प्रहलाद पो.नौद्विया तह. मउगंज जिला शीवा	अ.पि.व. 10.07.1988	मुख्य अभियंता, राज घाट नगर परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया
21	स्व.श्री अनौरचंद बिसेन	31.08.2020	श्री दिपांशु बिसेन निवासी, वार्ड न. 33 पार्वे साँ मिल के पास गायखुरी बालाघाट	अ.पि.व. 24.12.1990	मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी

1- मध्यप्रदेश शासन शासकीय भर्ती नियम 1969 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

2- संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह पूर्व सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते शासकीय कोष में जमा कराये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन एवं भत्ते उनके भू-राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी।

3- कार्य ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को अमीन के पद हेतु निम्न अभिलेख की मूल प्रति कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी कार्यग्रहण सूचना मान्य नहीं की जावेगी।

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र।
2. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी/स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
3. जिले के प्रमुख चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण-पत्र।
5. चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र।

4. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समायावधि में पदस्थीकरण स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।


5. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. आवेदक से कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का वचन पत्र लिया जावेगा कि वो दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाय

*(Handwritten signature)*

कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है तथा उसका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ( दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी को छोड़कर)

- 7- दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी का अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात कराए गये चरित्र सत्यापन ( पुलिस वेरिफिकेशन ) में यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
- 8- कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 02.07.2005 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
- 9- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 अगस्त 2009 के अनुसार नियुक्ति के पश्चात जल संसाधन विभाग द्वारा अमीन का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।
10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।
11. मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होंगी।

  
(मदन सिंह डाबर)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल  
भोपाल दिनांक: 4/02/2021

पृष्ठा क्रमांक / 3324060 / 958 / 2019 / 219  
प्रतिलिपि :-

1. संबंधित मुख्य अभियंता, .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं चरित्र सत्यापन संलग्न है एवं जिन अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं है उन अभ्यर्थियों से प्राप्त करें) पृष्ठांकित कर निवेदन है कि इनके विस्तृत पदस्थापना आदेश 10 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से जारी किये जाये, तथा अभ्यर्थी के कार्यग्रण की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। साथ ही मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र.7/3/25/5/93 दिनांक 31/12/93 की कंडिका 1 के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ अभ्यर्थियों से परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी शासकीय सेवा निगम, मंडल, आयोग, परिषद् आदि में उपस्थिति दिनांक तक नियोजित नहीं है का शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य पर उपस्थिति कराया जावें, यदि भवष्य में पाया जाता है कि परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य नियुक्ति के पूर्व शासकीय सेवा में नियोजित है उसकी सेवा समाप्त कर एफ. आई.आर. पंजीबद्ध कराई जावेगी। तथा उसकी की एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजना सुनिश्चित किया जावें।
2. संबंधित कलेक्टर .....
3. संबंधित श्री/श्रीमति/कुमारी .....
4. निज सहायक, प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)/अधीक्षण यंत्री(वृहद) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. ✓ वेब मैनेजर।
6. मास्टर नस्ती/अधीक्षक 331,332  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

  
(शिशिर कुशवाहा)

अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन)

कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल